

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल० डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स ट्र पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग_1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 24 दिसम्बर, 2021

पौष 3, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1

संख्या 1094 / 79-वि-1—21-1-क-34-21 लखनऊ, 24 दिसम्बर, 2021

अधिसूचना विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 जिससे विधायी अनुभाग—1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 36 सन् 2021)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

कतिपय अधिनियमितियाँ, जो वर्तमान समय में अप्रचलित और अनावश्यक हो गयी हैं, का निरसन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाताः है :-1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन अधिनियम, 2021 कहा जायेंगा।

संक्षिप्त नाम

कतिपय अधिनियमितियों का निरसन व्यावृत्ति

2-नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।

3-इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,-

- (क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो ;
- (ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व कृत्य कार्य या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे;
- (ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धित या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;
- (घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे ;
- (ङ) लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियाँ इस अधिनियम द्वारा निरसित न की गयी हों।

अनुसूची (धारा-2 देखें) निरसित किये जा रहे अधिनियम

·—	
1	संयुक्त प्रान्त फेमिन रिलीफ फण्ड एक्ट, 1936 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 10 सन् 1936)
2	कुमायू एनिमल द्रांसपोर्ट कन्ट्रोल (संशोधन) एक्ट, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5 सन् 1950)
3	उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फण्ड (संशोधन) अधिनियम, 1952 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1953)
4	उत्तर प्रदेश फेमिन रिलीफ फण्ड (संशोधन) एक्ट, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19 सन् 1961)
5	उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 1997)
6	उत्तर प्रदेश स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 1999 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 1999)
7	किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2004 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 2004)

8	उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2006)
9	उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (निरसन) अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 2007)
10	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2010)
11	उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, सैफई (संशोधन) अधिनियम, 2013 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2013)

उद्देश्य एवं कारण

यह विधेयक उन आविधिक उपायों में से एक आविधिक उपाय है जिनके द्वारा उन अधिनियमितियों, जो प्रवर्तन में नहीं रह गयी हैं या अप्रचलित हो गयी हैं, का निरसन किया जाता है । राज्य विधि आयोग की सिफारिश पर तथा नागरिकों एवं उद्योगों के लिये कारबार में सुगमता प्रदान करने हेतु विनियामक अनुपालन सम्बन्धी भार को कम करने तथा वैधीकरण के उद्देश्य से वर्तमान में अप्रचलित तथा अनुपयोगी हो चुकी या पृथक अधिनियमों के रूप में बने रहना अनावश्यक हो चुकी अधिनियमितियों का प्रशासकीय विभागों से तत्सम्बंध में सहमित प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 2021 के राज्य विधान मंडल में विधेयक प्रःस्थापित करके, निरसन किये जाने का विनिश्चय किया गया है ।

तद्नुसार उत्तर प्रदेश (चतुर्थ) निरसन विधेयक, 2021 पुरःस्थापित किया जाता है ।

आज्ञा से, अतुल श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।

No. 1094(2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-34-21,

Dated Lucknow, December 24, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh (Chaturth) Nirsan Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 36 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on December 24, 2021. The Vidhayi Anubhag-1 is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH (FOURTH) REPEALING ACT, 2021

(U.P. Act no. 36 of 2021)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN


AC₁

to repeal certain enactments that have become obsolete and redundant in the recent times.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh (Fourth) Repealing Act, 2021.

Short title



Repeal of certain enactments Savings

- 2. The enactments specified in the Schedule below are hereby repealed.
- 3. The repeal by this Act of any enactment shall not,-
- (a) affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;
- (b) affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;
- (c) affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by, in or from any enactment hereby repealed;
- (d) revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force;
- (e) affect the audit, examination, accounting, investigation, inquiry or any other action taken or to be taken in relation thereto by any authority and such audit, examination, accounting, investigation, inquiry or action could be taken, and, or continued as if the said enactments are not repealed by this Act.

SCHEDULE (See section 2) Acts being repealed

1	The United Provinces Famine Relief Fund Act, 1936 (U.P. Act no. 10 of 1936)
2	The Kumaun Animal Transport Control (Amendment) Act, 1950 (U.P. Act no. 5 of 1950)
3	The Uttar Pradesh Famine Relief Fund (Amendment) Act, 1952 (U.P. Act no. 8 of 1953)
4	The Uttar Pradesh Famine Relief Fund (Amendment) Act, 1961 (U.P. Act no. 19 of 1961)
5	The Uttar Pradesh Post-Graduate Medical Education (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1997 (U.P. Act no. 14 of 1997)
6	The Uttar Pradesh Post-Graduate Medical Education (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) (Amendment) Act, 1999 (U.P. Act no. 9 of 1999)
7 ·	The King George's Medical University (Amendment) Act, 2004 (U.P. Act no. 4 of 2004)
8	The Uttar Pradesh King George's University of Dental Science (Amendment) Act, 2006 (U.P. Act no. 6 of 2006)
9	The Uttar Pradesh King George's University of Dental Science (Repeal) Act, 2007 (U.P. Act no. 7 of 2007)
10	The Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai (Amendment) Act, 2009 (U.P. Act no. 13 of 2010)
11	The Uttar Pradesh Rural Institute of Medical Sciences and Research, Saifai (Amendment) Act, 2013 (U.P. Act no. 20 of 2013)

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is one of those periodical measures by which enactments which have ceased to be in force or have become obsolete, are repealed on recommendation of the State Law Commission, and in order to reduce regulatory compliance burden to facilitate ease of doing business for citizens and industries and with the objective of decriminalization, it has been decided to repeal enactments which have become redundant and obsolete in present times or retention whereof as separate Acts is unnecessary, by introducing a Bill in the year 2021, in the State Legislature after obtaining the consent of the Administrative Departments related therewith.

The Uttar Pradesh (Fourth) Repealing Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी०एस0यू०पी०-ए०पी० ४९१ राजपत्र-2021-(1107)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)। पी०एस0यू०पी०-ए०पी० १४० सा० विधायी-2021-(1108)-300 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।